# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
## पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 76/2022

| प्रार्थीनी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| चन्द्रा देवी पत्नि श्री मंगलारामजी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम लूणी, तहसील लूणी, हाल निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली । | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी |

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम ।**

**अधिवक्तागणः –**

1. प्रार्थीनी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।

**निर्णय**

दिनांक :– 12/10/2022

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा सख्या 919/405 की कुल रकबा 2.9947 हैक्टेयर कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं जिस पर प्रार्थीनी बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज हैं । हाल ही में सरकार के परिपत्र अनुसार तहसील लूणी का रेकर्ड ऑनलाईन किया गया जिसके तहत ग्राम लूणी के सम्पूर्ण खसरों के भी ऑनलाईन नये नक्शों का सर्जन किया गया । ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 919/405 को ऑनलाईन नक्शें में गलत जगह दर्शा दिया गया जबकि खसरा संख्या 919/405 खसरा संख्या 982/405 के पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ते तक स्थित हैं । वर्तमान ऑनलाईन नक्शें की स्थिति बिल्कुल ही गलत दर्शायी गयी हैं, खसरा संख्या 919/405 की जो वास्तविक स्थिति मौके अनुसार राजस्व ऑनलाईन नक्शें में होनी चाहिये उसका नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया जा रहा हैं जो कि नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावेंगा । ऑनलाईन नक्शें में खसरा संख्या 919/405 गलत अंकित होने से मौके पर प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि अलग स्थान पर अंकित हो गयी हैं जबकि प्रार्थीनी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर काबिज हैं । उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं अन्यथा अनावश्यक ही मौके पर विवाद उत्पन्न हो गये हैं । वर्तमान में जो ऑनलाईन नक्शा हैं उसमें खसरा संख्या 919/405 व 405/7 की जो तरमीम दर्ज हैं वह दोनो ही गलत हैं उक्त दोनो खसरों की तरमीम को दुरूस्त किये जाने से ही विवाद समाप्त होंगे इस कारण से उक्त दोनो खसरान की तरमीम निरस्त की जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त की जानी आवश्यक हैं । अंत में निवेदन किया कि ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 919/405 एव 405/7 की ऑनलाईन नक्शें में दर्ज तरमीम खारिज की जावें एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त दोनो खसरान की तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जावें । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थीनी के पक्ष में हो अता फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा अप्रार्थी की तरफ से प्रकरण के सम्बन्ध में जरिये कमांक/भू.अ./22/3340 दिनांक 11.10.2022 के जरिये तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी जो कि शामिल मिशल की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि ऑनलाईन डीआईएलआरएमपी में तरमीम की गयी जो कि खसरा संख्या 405/1, 405/2, 405/3, 405/5 के अलावा बटटा नम्बरों की तरमीम मौके से भिन्न हैं एवं मौके पर खातेदारों के काबिज अनुसार का नजरी नक्शा भी मौका फर्द दिनांक 30.10.2022 में अंकित किया हुआ हैं ऐसी स्थिति में ऑनलाईन नक्शें में दर्ज तरमीम एवं मौके की स्थिति में भिन्नता होने से प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के मूल खसरा संख्या 405 के विभक्त बटटा नं0 की जो ऑनलाईन नक्शें में मौके पर काबिज अनुसार भिन्न तरमीम दर्ज हैं वह निरस्त की जाकर मौके पर काबिज अनुसार मौका फर्द दिनांक 30.10.2022 के आधार पर ऑनलाईन नक्शें में तरमीम दुरूस्त की जावें । मौक फर्द दिनांक 30.10.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।
**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**
**लूणी**

Scanned by CamScanner